बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना–2011 (SECC)

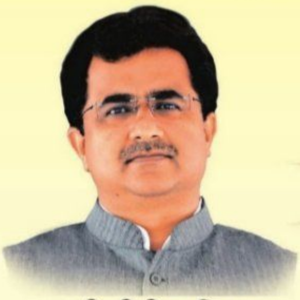

श्री नीतीश मिश्रा
माननीय मंत्री
ग्रामीण विकास विभाग

एक नजर

- सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना बिहार राज्य में अप्रैल 2012 से सभी जिलों में प्रारंभ किया गया ।
- सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना का आधार वर्ष 2010–11 में भारत सरकार द्वारा करायी गई राष्ट्रीय जनगणना है । इस सर्वेक्षण में विभिन्न चरणों के द्वारा डाटा को सत्यापित किया गया, जिससे कि त्रुटि कम से कम हो ।
- **प्रगणन प्रक्रिया** :– इस प्रकिया के दौरान टेबलेट पीसी के माध्यम से घर–घर जाकर जानकारी एकत्र की गई। इस प्रक्रिया में कुल– 206066 प्रगणक खंड (EB) थे, जिनमें ग्रामीण प्रगणक खंड 184542 एवं शहरी प्रगणक खंड 21524 थे।
- **पर्यवेक्षीय सत्यापन** :– पर्यवेक्षक के माध्यम से प्रगणन के बाद सत्यापन किया गया ।
- सत्यापन और सुधार प्रक्रिया :– राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) द्वारा स्वतः ही सुधार संबंधी डाटा को बनाया गया तथा इसे सत्यापन के उपरांत सुधार कर डाटा को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) पर अपलोड किया गया ।
- **प्रोटोकॉल अनुपालन प्रक्रिया** :– इसमें सभी जिलों के सभी प्रगणन खंड के प्रगणन, पर्यवेक्षकीय, सत्यापन और सुधार कार्यक्षेत्र (Jurisdictional Error) एवं अन्य त्रुटि से संबंधित डाटा का सुधार कर अनुपालन करने के बाद प्रारूप सूची का प्रकाशन किया गया ।
- सितम्बर 2013 से विभिन्न चरणों में 38 जिलों का ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन किया गया ।
- बिहार पहला राज्य है, जहाँ राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (NPR) डाटा एवं सामाजिक आर्थिक एवं जाति **आधारित जनगणना** (SECC) डाटा का मिलान करके प्रारूप सूची का प्रकाशन सभी जिलों में कराया गया है ।
- ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन न सिर्फ पंचायत कार्यालय, पंचायत के किसी विशेष स्थान पर एवं प्रखंड स्तर किया गया बल्कि बिहार सरकार की पहल पर इन स्थानों के अलावा प्रत्येक परिवार को संबंधित ड्राफ्ट सूची उपलब्ध कराया गया ताकि हर परिवार की गणना पारदर्शी तरीके से किया जा सके तथा सूची में कम से कम त्रुटि हो ।
- बिहार वह पहला राज्य है जहाँ **सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना** (SECC) के ड्राफ्ट सूची के आधार पर सभी 38 जिलों में राष्ट्रीय खादय सुरक्षा कानून फरवरी 2014 से लागू किया गया है। खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत पात्र परिवारों का चयन खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार द्वारा किया गया है ।
- प्रारूप प्रकाशन के दौरान प्रत्येक घर से संबंधित प्रारूप सूची की प्रति उपलब्ध कराई गई एवं उससे संबंधित त्रुटियों पर दावा/आपत्ति आमंत्रित किया गया ।
- **प्रारूप प्रकाशन के बाद दावा/आपत्ति चरण** :– इस चरण के दौरान आम जनता से विहित प्रपत्र में (फार्म A,B,C) दावे/आपत्ति माँग की गई। दावे/आपत्तियों का निष्पादन की कार्रवाई जिला/प्रखंड स्तर पर कराया गया ।
- **शिकायत निवारण** :– दावा/आपत्ति निष्पादन (COTS) के प्रथम चरण में सभी जिलों में कुल 4942631 दावा/आपत्ति प्राप्त हुए, जिसका पूर्ण निश्पादन किया जा चुका है ।
- विशेष व्यवस्था के तहत पुनः 1 जुलाई 2014 से 31 जुलाई 2014 तक 4804154 दावे/आपत्ति प्राप्त किये गये, जिसका निष्पादन जिला/प्रखंड स्तर पर किया गया है ।
- प्रथम एवं द्वितीय चरण मिलाकर कुल 9746785 दावा/आपत्ति प्राप्त किए गए जिसमें से 4762593 आवेदनों में से 3108747 आवेदन स्वीकृत किए गए है और 1533782 आवेदन अस्वीकृत किए गए है। स्वीकृत आवेदनों में से 3071924 आवेदनों के आधार पर डाटा सुधार किया जा चुका है ।
- राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी में कुल आवासीय घर 18091186 एवं जनसंख्या 105287312 है, जबकि **सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना** (SECC) के उपरांत यह बढ़कर कमशः 19236383 एवं 107492560 हो गया है ।
- नालंदा, बक्सर, शेखपुरा, पश्चिम चम्पारण, सीतामढ़ी, गया, समस्तीपुर, लखीसराय एवं बाँका जिलों में अंतिम सूची प्रकाशन के लिए तैयार है। शेष 29 जिलों का अंतिम सूची का प्रकाशन 15.01.2015 तक कर लेने का लक्ष्य है ।

ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

1800-120-8001 (टॉल फ्री नम्बर) **Fax: 0612- 2217857** **E-Mail: rlrsec-bih@nic.in**